संख्या-154/2024/82RF/002-E-1799152

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

1. नगर पंचायत, रानीगंज, जनपद-प्रतापगढ।
2. नगर पंचायत, सिधौली, जनपद-सीतापुर।
3. नगर पंचायत, दोहरीघाट, जनपद-मऊ।

नगर विकास अनुभाग- 9 लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-83 से व्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यो/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-521/न0पं0रानी0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-07.03.2024 पत्रांक-342/न0पं0दो0-मऊ/2023-24, दिनांक-11.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से क्रमशः नगर पंचायत रानीगंज, जनपद-प्रतापगढ, नगर पंचायत सिधौली, जनपद-सीतापुर एवं नगर पंचायत दोहरीघाट, जनपद-मऊ को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रू0 111.30 लाख, रू0 100.49 लाख अवस्थापना तथा रू0 348.28 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यो हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नगर निकायो में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पंचायत रानीगंज, जनपद-प्रतापगढ, नगर पंचायत सिधौली, जनपद-सीतापुर एवं नगर पंचायत दोहरीघाट, जनपद-मऊ द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, **कुल लागत धनराशि रू0 560.02 लाख (रूपये पांच करोड़ साठ लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि रू0 190.00 लाख (रूपये एक करोड़ नब्बे लाख मात्र)** अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पंचायत

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	निकाय/ जनपद का नाम		मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत [illegible] जनपद [illegible]	1	वार्ड चौठलपुर में मिश्रा बैटरी की दुकान से मिश्रान बस्ती तक 09 मी0 अष्टकोणीय पोल के साथ 120 वाट स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	5.80		
		2	वार्ड टाइरपट्टी में नहर के पुल से आँगनवाड़ी केन्द्र तक 09 मी0 अष्टकोणीय पोल के साथ 120 वाट स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	10.69		
		3	[illegible]	10.34		
		4	[illegible] 09 मी0 अष्टकोणीय पोल के साथ 120 वाट स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	24.32		
		5	वार्ड [illegible] में [illegible] चौराहे से राम नगर रोड पर 09 मी0 अष्टकोणीय पोल के साथ 120 वाट स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	11.25		
		6	वार्ड [illegible] 09 मी0 अष्टकोणीय पोल के साथ 120 वाट स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	16.14		
		7	वार्ड मधवापुर में [illegible] रोड पर 09 मी0 अष्टकोणीय पोल के साथ 120 वाट स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	9.43		
		8	वार्ड बरहदा चौराहे से आशापुर वाली सड़क पर 09 मी0 अष्टकोणीय पोल के साथ 120 वाट स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	11.25		
		9	वार्ड आशापुर में दुर्गा मन्दिर पर 12 मीटर हाईमास्ट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	6.02		
		10	[illegible] हाईमास्ट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य।	6.02		
			योग	111.26	100.00	50.00
2	नगर पंचायत [illegible] जनपद [illegible]	1	नगर पंचायत [illegible] के [illegible] से [illegible] के मकान से लोकेश के मकान तक आर0 सी0 सी0 रोड नाली का निर्माण कार्य।	23.25		
		2	नगर पंचायत [illegible] अन्तर्गत [illegible] स्थित आर आर आर सेन्टर तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 रोड एवं नाला निर्माण का कार्य।	39.14		
		3	[illegible]	38.09		
			योग	100.48	100.00	50.00
3	नगर पंचायत [illegible] जनपद [illegible]		कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	348.28		
			योग	348.28	180.00	90.00
			कुल योग (नगर पंचायत अनुदान सं0-83)	560.02	380.00	190.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. [illegible]
2. [illegible] उपरान्त ही सम्बन्धित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

-3-

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से सबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अधिशासी अधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हों।

(7) प्रस्तावित पायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। पायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) पायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(6) प्रस्तावित परियोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का [illegible] आवश्यकतानुरूप [illegible]

[illegible]

(7) [illegible] आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये [illegible] प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(8) सड़क परियोजना निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17-4-75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60/दस-2023-17-4-75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र [illegible] शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित [illegible] सुनिश्चित की जायेगी।

(11) [illegible] किसी भी प्रकार की त्रुटि [illegible] सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(12) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जाय।

(13) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(14) प्रश्नगत स्वीकृति जिस मद/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा [illegible] हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,90,00,000 (रुपये एक करोड नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890403 नगर पंचायत मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-636-X-2023-24, दिनांक- 14 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 14.03.2024

(कल्याण बनजी)

संयुक्त सचिव।

-5-

संख्या-154/2024/82 RF/002-E-1799152, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-प्रतापगढ़, सीतापुर एवं मऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
14.03.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-14/03/2024

प्रेषण संख्या:- 154
आवंटन आदेश संख्या:- 001-154-2024-82RF-002-E-1799152
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 6250000	5000000 6250000
2	प्रतापगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
3	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 14000000	9000000 14000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	19000000 25250000	19000000 25250000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ नब्बे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ बावन लाख पचास हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव